[2019] 1 उम. नि. प. 412

उत्तरादी मठ

बनाम

राघवेन्द्र स्वामी मठ

26 सितम्बर, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चन्द्रचूड़

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – आदेश 41, नियम 23क, 25, 27, 28 और 29 – मामले का प्रतिप्रेषण – अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन – उच्च न्यायालय का प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा के लिए फाइल किए गए आवेदनों को मंजूर करके पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष वाद का पुनः विनिश्चय करने के लिए अवनत करना त्रुटिपूर्ण है ।

प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/वादी द्वारा 2010 के मूल वाद सं. 74 में (1992 का मूल वाद सं. 193) अपर सिविल न्यायाधीश, गंगावती द्वारा तारीख 18 जून, 2011 के निर्णय और डिक्री द्वारा वाद को खारिज किए जाने के विरुद्ध प्रधान ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारवाड़ के समक्ष फाइल की गई प्रथम अपील में, जो कि 2014 की पुनरीक्षण अपील सं. 124 है (जो ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, गंगावती के न्यायालय के समक्ष 2011 की मूल पुनरीक्षण अपील सं. 14 है), प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा के लिए आदेश 41, नियम 27 के अधीन तीन आवेदन फाइल किए गए थे । प्रथम अपील न्यायालय ने कथित आवेदनों पर अपीलार्थी/वादी द्वारा फाइल की गई प्रथम अपील के साथ विचार किया । प्रथम अपील न्यायालय ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा फाइल किए गए उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया और अपीलार्थी/वादी द्वारा फाइल की गई अपील को विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर पहले से लाए गए साक्ष्य के आधार पर मंजूर कर लिया । अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए

वाद को प्रथम अपील न्यायालय द्वारा भागतः डिक्री कर दिया गया । प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने उपर्युक्त विनिश्चय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की, जो कि 2015 की नियमित द्वितीय अपील सं. 100446 है । प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई द्वितीय अपील को, आक्षेपित निर्णय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील न्यायालय की राय को उलट दिया जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन फाइल किए गए कथित तीन आवेदनों को नामंजूर करना भी है । उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत उन आवेदनों को मंजूर कर लिया और पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष अवनत कर दिया । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील का तदनुसार निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई विशेष कारण अभिलिखित नहीं किए हैं कि पक्षकारों को वाद को पुनर्विनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष क्यों अवनत किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय ने संभवतः जिस एकमात्र कारण पर बल दिया है, वह यह है कि सच्चाई का पता लगाना आवश्यक था क्योंकि न्यायालय का यही कर्तव्य है । ऐसा प्रथम अपील न्यायालय को साक्ष्य अभिलिखित करने का निदेश देकर भी किया जा सकता था, जो कि वह प्रथम अपील की सुनवाई करते समय करने के लिए सक्षम था, यदि उसने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन फाइल किए गए आवेदनों को मंजूर किया होता । इसके लिए, उच्च न्यायालय संहिता के आदेश 41, नियम 25 के अनुसार विवाद्यक विरचित कर सकता था और उन्हें प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष, जिसकी डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की गई थी, न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित कर सकता था । उच्च न्यायालय प्रथम अपील न्यायालय को तथ्य संबंधी किसी प्रश्न का, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य की विद्यमानता और वास्तविकता भी है, या उस संबंध में इस बात का अवधारण करने के लिए निदेश जारी

कर सकता था कि उक्त दस्तावेज़ों की अंतर्वस्तुओं को उस पक्षकार द्वारा, जो उनका अवलंब ले रहा है, सम्यक् रूप से साबित किया गया था अथवा नहीं । प्रथम अपील न्यायालय, ऐसे सुसंगत विषयों के समर्थन में, जो उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किए हों, साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसे विवाद्यकों का विचारण करने की कार्यवाही कर सकता था और उच्च न्यायालय को विहित समय के भीतर साक्ष्य, उसके संबंध में अपने निष्कर्षों सहित, लौटा सकता था । ऐसी कार्यवाही संहिता के आदेश 41, नियम 28 के निबंधनानुसार अनुज्ञेय थी । इसके बाद उच्च न्यायालय, रिपोर्ट प्राप्त होने पर, द्वितीय अपील को ग्रहण करते समय पहले से विरचित विधि के सारवान् प्रश्नों पर विचार कर सकता था और सभी मुद्दों के संबंध में उनका अंतिम रूप से विनिश्चय कर सकता था । (पैरा 17)

इस मुकदमेबाजी के विविध इतिहास और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वाद वर्ष 1992 में फाइल किया गया था और भूमि अभिलेख अधीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिट याचिका कथित रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, यह उपयुक्त होगा कि उच्च न्यायालय उन विषय-बिन्दुओं को विरचित करे, जिनके संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पेश किए जा सकते थे और प्रथम अपील न्यायालय से अतिरिक्त साक्ष्य लेखबद्ध करने और अतिरिक्त साक्ष्य की वास्तविकता और प्रमाणिकता के प्रश्न पर, जिसके अंतर्गत यह प्रश्न भी है कि उसकी अंतर्वस्तुओं को उस पक्षकार द्वारा, जो उसका अवलंब ले रहा है, साबित किया गया है अथवा नहीं, विचार करने की और उसके पश्चात् उस साक्ष्य को विहित समय के भीतर उच्च न्यायालय को, उसके संबंध में अपने निष्कर्षों और उसके लिए कारणों सहित, लौटाने की अपेक्षा करे । ऐसी कार्यवाही से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी । तद्नुसार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को उस सीमा तक भागतः अपास्त किया जाता है जहां तक पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को विधि के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञात करने के पश्चात् वाद को पुनर्विनिश्चित करने के लिए वापस भेजा गया है । इसके बजाय, अपील को उच्च न्यायालय की फाइल पर मूल संख्यांक पर प्रत्यावर्तित

किया जाता है । उच्च न्यायालय उन विषय-बिन्दुओं की विरचना करेगा, जिनके संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दी गई है और प्रथम अपील न्यायालय को विधि के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर लेने और उसके पश्चात् उस साक्ष्य को विहित समय के भीतर उच्च न्यायालय को, उसके संबंध में अपने निष्कर्षों और उसके लिए कारणों सहित, लौटाने का निदेश देगा । उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे निदेश यथाशीघ्र, अधिमानतः आज से दो मास के भीतर, जारी किए जाएं । इसके पश्चात् उच्च न्यायालय, प्रथम अपील न्यायालय से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, द्वितीय अपील के संबंध में, पहले से विरचित सारवान् प्रश्नों पर या ऐसे अन्य सारवान् प्रश्नों पर, जो उसके विचारार्थ उद्भूत हों, विचार कर सकेगा । (पैरा 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 8 एस. सी. सी. 148 : **भारत संघ** बनाम **इब्राहिम उद्दीन और एक अन्य** ;	6
[2009]	(2009) 8 एस. सी. सी. 231 : **एच. सी. वेदव्यासचर** बनाम **शिवशंकर और एक अन्य** ;	16
[2006]	(2006) 13 एस. सी. सी. 775 : **शांति देवी** बनाम **द्रोपती देवी** ।	16

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 9333.

2015 की नियमित द्वितीय अपील सं. 100446 मे कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंगलुरू न्यायपीठ के तारीख 14 नवम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार, जे. वी. कोलार, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सौरभ एस. सिन्हा और राहुल प्रताप

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री विकास सिंह, हुफेज़ा अहमदी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, रोहन शर्मा, विष्णु

शर्मा, (सुश्री) अनुपमा शर्मा, (सुश्री) रंगोली सेठ और (सुश्री) सोनाली नेगी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने दिया ।

न्या. खानविलकर – यह अपील 2015 की नियमित द्वितीय अपील सं. 100446 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंगलुरू न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 14 नवम्बर, 2017 के उस निर्णय और डिक्री से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे संक्षेप मे 'संहिता' कहा गया है) के आदेश 41, नियम 27 के अधीन फाइल किए गए तीन आवेदनों को मंजूर करके प्रथम अपील न्यायालय और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया था और पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष अवनत कर दिया था । उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त साक्ष्य के प्रकाश में अपना निष्कर्ष देते हुए वाद का नए सिरे से विनिश्चय करने का निदेश दिया । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रवर्तनशील भाग निम्नलिखित रूप में है :–

> "25. अतः, यह न्यायालय विधि संबंधी ऐसे सारवान् प्रश्नों का विनिश्चय नहीं कर सकता जिनके आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील इस प्रक्रम पर तारीख 13 अप्रैल, 2016 को ग्रहण की गई थी और मामला सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन फाइल किए गए तीन आवेदनों को मंजूर करके विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए । अतः, प्रतिवादी/अपीलार्थी-राघवेन्द्र स्वामी मठ (आर. एस. एम.) द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन फाइल किए गए सभी तीन आवेदन मंजूर किए जाते हैं और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित तारीख 22 अप्रैल, 2015 का आदेश संपूर्णतः अपास्त किया जाता है क्योंकि अन्यथा भी यह प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अनुदत्त किया गया स्वतः विरोधात्मक और अस्पष्ट आंशिक व्यादेश प्रतीत होता है इसलिए मामला विद्वान् विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है जिससे कि उक्त अतिरिक्त साक्ष्य

को अभिलेख पर रखने की अनुज्ञा दी जाए और पक्षकारों को उसे विधि के अनुसार साबित और नासाबित करने के लिए अनुज्ञात किया जाए और इसके पश्चात् ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य के प्रकाश में अपने निष्कर्ष देते हुए वाद को पुनर्विनिश्चित किया जाए ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काफी अधिक समय व्यतीत हो चुका है, विचारण न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि मामले पर शीघ्र कार्यवाही की जाए और वाद के संबंध में यथाशीघ्र पुनः विनिश्चय किया जाए ।

तद्नुसार, प्रस्तुत अपील का निपटारा किया जाता है । खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है । सभी अंतर्वर्ती आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है ।"

2. इस अपील में मुख्य मुद्दा यह है कि उच्च न्यायालय का प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा आदेश 41, नियम 27 के अधीन प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए तीन आवेदनों को मंजूर करना न्यायोचित था अथवा नहीं । इसके अतिरिक्त, भले ही इन तीन आवेदनों को मंजूर करने के लिए न्यायसंगत और पर्याप्त कारण था तो भी क्या उच्च न्यायालय का पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष अवनत करने और विचारण न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य के प्रकाश में अपना निष्कर्ष देकर वाद को पुनः विनिश्चित करने का निदेश देना न्यायोचित था ?

3. इस मामले का विविध इतिहास है । अनावश्यक ब्यौरों का वर्णन किए बिना हम केवल इस अपील का विनिश्चय करने के लिए सुसंगत तथ्यों के प्रति ही निर्देश करते हैं । अपीलार्थी/वादी द्वारा 2010 के मूल वाद सं. 74 में (1992 का मूल वाद सं. 193) अपर सिविल न्यायाधीश, गंगावती द्वारा तारीख 18 जून, 2011 के निर्णय और डिक्री द्वारा वाद को खारिज किए जाने के विरुद्ध प्रधान ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारवाड़ के समक्ष फाइल की गई प्रथम अपील में, जो कि 2014 की पुनरीक्षण अपील सं. 124 है (जो ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, गंगावती के न्यायालय के समक्ष 2011 की मूल पुनरीक्षण अपील सं. 14 है), प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने

की अनुज्ञा के लिए आदेश 41, नियम 27 के अधीन तीन आवेदन फाइल किए गए थे । प्रथम अपील न्यायालय ने कथित आवेदनों पर अपीलार्थी/वादी द्वारा फाइल की गई प्रथम अपील के साथ विचार किया । प्रथम अपील न्यायालय ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा फाइल किए गए उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया और अपीलार्थी/वादी द्वारा फाइल की गई अपील को विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर पहले से लाए गए साक्ष्य के आधार पर मंजूर कर लिया । अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए वाद को प्रथम अपील न्यायालय द्वारा भागतः डिक्री कर दिया गया । प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित तारीख 22 अप्रैल, 2015 का प्रवर्तनशील आदेश निम्नलिखित रूप में है :–

"आदेश

अपीलार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 41, नियम 27 के अधीन फाइल किया गया आवेदन खारिज किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 14, नियम 5 के अधीन फाइल किया गया आवेदन खारिज किया जाता है ।

प्रत्यर्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 14, नियम 5 के अधीन फाइल किया गया आवेदन खारिज किया जाता है ।

प्रत्यर्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 41, नियम 27 के अधीन फाइल किया गया आवेदन खारिज किया जाता है ।

प्रत्यर्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन अनेगुंडी ग्राम के सर्वेक्षण सं. 192 के सर्वेक्षण की ईप्सा करने वाला आवेदन खारिज किया जाता है ।

प्रत्यर्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन फाइल किया गया आवेदन खारिज किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 1 के अधीन फाइल की गई अपील भागतः मंजूर की जाती है । अपर सिविल न्यायाधीश, गंगावती के न्यायालय द्वारा 2010 के मूल वाद सं. 74 में पारित तारीख 18 जून, 2011 का निर्णय और डिक्री अपास्त की जाती है ।

वादी के वाद को भागतः डिक्री किया जाता है । प्रतिवादी मठ के वादगत संपत्ति में वृंदावन की आराधना और पूजा करने संबंधी अधिकार, यदि कोई है, के अधीन रहते हुए, प्रतिवादी को शाश्वत व्यादेश के रूप में वादगत संपत्ति पर वादी मठ के कब्ज़े और उसके उपभोग में हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध किया जाता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त शर्त का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इसके द्वारा प्रतिवादी मठ द्वारा आराधना और पूजा करने के अधिकार की घोषणा की गई है ।

खर्चा अधिरोपित नहीं किया जाता है ।

कार्यालय को निर्णय और डिक्री की एक प्रति एल. सी. आर. सहित विचारण न्यायालय को प्रेषित करने का निदेश दिया जाता है ।"

4. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने उपर्युक्त विनिश्चय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की, जो कि 2015 की नियमित द्वितीय अपील सं. 100446 है ।

5. जैसा कि ऊपर कथन किया गया है, उस आदेश की, जिसे हम पारित करना प्रस्थापित करते हैं और उन प्रश्नों की प्रकृति के कारण, जिनका उत्तर दिया जाना है, यह मत व्यक्त करना पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंगलुरू न्यायपीठ के समक्ष फाइल की गई द्वितीय अपील को, जो कि 2015 की नियमित द्वितीय अपील सं. 100446 है, तारीख 14 नवम्बर, 2017 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील न्यायालय की राय को उलट दिया जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा संहिता के आदेश 41, नियम 27 के

अधीन फाइल किए गए कथित तीन आवेदनों को नामंजूर करना भी है । उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत उन आवेदनों को मंजूर कर लिया और पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष अवनत कर दिया, जैसा कि ऊपर उद्धृत आक्षेपित निर्णय के प्रवर्तनशील भाग में उल्लेख किया गया है ।

6. जहां तक इस प्रश्न से संबंधित प्रथम मुद्दे का संबंध है कि क्या उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करने से संबंधित तीन आवेदनों को मंजूर करने के लिए पर्याप्त कारण अभिलिखित किए हैं, उच्च न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा सबूत के अधीन रहते हुए, अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए की गई ईप्सा का वाद में अंतर्वलित विवाद्यकों पर और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध व्यादेश का दावा करने संबंधी अपीलार्थी/वादी के अधिकारों का अवधारण करने पर इस आधार पर तात्विक प्रभाव पड़ सकता था कि कुल भूमि (चाहे वह 14 एकड़ 7 गुंठा हो या 27 एकड़ 30 गुंठा हो) उसके स्वामित्व या कब्ज़े में थी । उच्च न्यायालय का यह मत था कि इससे संबंधित पक्षकारों के अधिकारों के संपूर्ण आधार में परिवर्तन आ सकता है और इसलिए प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए ईप्सित ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को रोका नहीं जाना चाहिए । उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि प्रथम अपील न्यायालय ने ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य का विश्लेषण किए बिना अवास्तविक निर्णय दिया है और अन्यथा भी न्यायपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचने और संहिता के आदेश 41, नियम 27 के पैरामीटर को पूरा करते हुए संबंधित पक्षकारों के अधिकारों के सही मूल्यांकन के लिए यह एक सारवान् कारण था । इस निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिए उच्च नयायालय ने **भारत संघ** बनाम **इब्राहिम उद्दीन और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के पैरा 49 में किए गए आदेश का अवलंब लिया । उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

---

[1] (2012) 8 एस. सी. सी. 148.

के प्रति अनुग्रह दिखाने के लिए आवश्यक रूप से जिस बात पर जोर दिया वह आक्षेपित निर्णय के पैरा 17 में की गई मताभिव्यक्तियों से दृष्टव्य है, जो कि निम्नलिखित रूप में है :-

> "17. प्रथमदृष्ट्या, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अतिरिक्त साक्ष्य, जो कि अधिकतर सरकारी पत्रों और आदेशों के रूप में हैं, निचले न्यायालयों के समक्ष अंतर्वलित विवाद्यकों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है और इसलिए संबंधित पक्षकार द्वारा उसे प्रस्तुत करने और विधि के अनुसार साबित करने के पश्चात्, न्यायालय द्वारा उन पर विचार किया जाना चाहिए । मात्र इस कारण कि भूमि अभिलेख अधीक्षक द्वारा पारित तारीख 7 सितम्बर, 1974 का आदेश केरल अपील अधिकरण द्वारा और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की विषयवस्तु बना, इससे विचारण न्यायालय या प्रथम अपील न्यायालय ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को अभिलेख पर लेने और विधि के अनुसार उसे साबित करने के लिए अनुज्ञात करने और उसके बाद विवाद्यकों का विधि के अनुसार विनिश्चय करने से निवारित नहीं हो जाता है । इन दस्तावेज़ों में से अधिकतर सरकारी संसूचनाएं और आदेश थे और वे प्रतिवादी-आर. एस. एम. के नियंत्रण और कब्ज़े में नहीं थे तथा चूंकि प्रतिवादी-आर. एस. एम. (राघवेन्द्र स्वामी मठ) केरल अपील अधिकरण के समक्ष व्यासराज मठ द्वारा फाइल की गई अपील में एक पक्षकार नहीं था इसलिए प्रथम अपील न्यायालय को इन अतिरिक्त साक्ष्यों को अनुज्ञात करना चाहिए था जो कि सत्य का पता लगाने और न्याय के उद्देश्य को पूरा करने तथा एक सही निर्णय देने में सहायक हो सकते थे । ऐसा करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप गंभीर न्यायहानि हुई है । वादी/प्रत्यर्थी-उत्तरादी मठ द्वारा साबित किए गए संपूर्ण 27 एकड़ और 30 गुंठा भूमि के हक और शांतिपूर्ण कब्ज़े के बिना, ऐसे परस्पर-विरोधी अतिरिक्त साक्ष्य को देखते हुए, प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अनुदत्त स्वतः विरोधात्मक और अस्पष्ट व्यादेश कायम नहीं रखा जा सकता है ।"

उच्च न्यायालय ने उस कारण प्रथम अपील न्यायालय द्वारा संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा फाइल किए गए तीन आवेदनों के संबंध में अपनाए गए मत को उलट दिया और पक्षकारों को विचारण न्यायालय में अवनत करना उपयुक्त समझा ।

7. अपीलार्थी के अनुसार, उच्च न्यायालय को प्रथम अपील न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से फाइल किए गए उन तीन आवेदनों को, जिसमें अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा मांगी गई थी, खारिज करते हुए प्रयोग किए गए उसके विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने जिन कारणों पर बल दिया है वे किसी भी दशा में संहिता के आदेश 41, नियम 27 में निर्धारित अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की कसौटी को पूरा नहीं करते हैं ।

8. इस आक्षेप से हमारा अवरुद्ध होना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारी यह सुविचारित राय है कि प्रथम अपील न्यायालय कार्यवाहियों के पूर्ण, निःशेष और प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए कार्यवाहियों के पक्षकार को उसके समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञात करके अपनी अधिकारिता के भीतर कार्य करता । संहिता के आदेश 41, नियम 27 के तात्पर्य पर **भारत संघ** (उपर्युक्त) वाले मामले में विचार किया गया है । न्यायालय ने, इस न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चयों में की गई प्रतिपादना का उल्लेख पैरा 36 से 46 में किया और पैरा 47 और 48 में अपनी प्रतिपादना का सार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया :-

> "47. जहां पेश किए जाने के लिए ईप्सित अतिरिक्त साक्ष्य से मामले के संबंध में संदेह के बादल छंट जाते हैं और उस साक्ष्य का वाद में के मुख्य विवाद्यक पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और न्याय का हित उसे स्पष्ट रूप से इस संबंध में अपरिहार्य बना देता है कि उसे अभिलेख पर लाना अनुज्ञात किया जाए वहां ऐसा आवेदन मंजूर किया जा सकता है ।
>
> 48. विवाद्यक का सार प्रस्तुत करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने के कोई आवेदन विलंबित प्रक्रम पर अधिकार स्वरूप फाइल नहीं किया जा

सकता है । न्यायालय ऐसे आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार कर सकता है बशर्ते वह स्वयं कानूनी उपबंधों में सम्मिलित किसी भी पूर्वापेक्षित शर्त के अंतर्गत आता हो । न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग, मामले में अंतर्वलित मुद्दों की बाबत दस्तावेज़ की सुसंगति और उन परिस्थितियों पर, जिसके अधीन ऐसा साक्ष्य निचले न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका था और इस संबंध में विचार करने के पश्चात् कि आवेदक ने निचले न्यायालय के समक्ष अपने मामले में अभियोजन तत्परतापूर्वक चलाया था अथवा नहीं और अपील न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने के लिए ऐसा साक्ष्य आवश्यक है, न्यायसम्मत रूप से किया जाना चाहिए । यदि न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचता है कि फाइल किया गया आवेदन स्वयं कानूनी उपबंधों की परिधि के भीतर आता है तो साक्ष्य को अभिलेख पर लिया जा सकता है, तथापि, न्यायालय को इस संबंध में कारण अवश्य अभिलिखित करने चाहिएं कि किस आधार पर ऐसा आवेदन मंजूर किया गया है । तथापि, ऐसा आवेदन विलंबित प्रक्रम पर फाइल नहीं किया जाना चाहिए ।"

9. प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने यह राय व्यक्त की है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रस्थापित दस्तावेज़ शासकीय अभिलेख और लोक दस्तावेज़ थे, जो कि यदि साबित हो जाते तो वे अपील न्यायालय को निर्णय सुनाने में समर्थ बना सकते थे और पक्षकारों के साथ पूर्ण, निःशेष और प्रभावी न्याय कर सकते थे । दूसरे शब्दों में, प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता न्यायालय को विवादग्रस्त प्रश्न का उत्तर देने और विशेष रूप से तात्विक मुद्दों के संबंध में निर्णय सुनाने के लिए थी ।

10. न्यायालय ने **भारत संघ** (उपर्युक्त) वाले मामले में प्रतिवेदित उसी विनिश्चय के पैरा 49-52 में, इस न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चयों के प्रति निर्देश से संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन आवेदनों पर विचार करने के प्रक्रम से संबंधित प्रश्न पर विचार किया । बहरहाल, प्रथम अपील न्यायालय द्वारा संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा फाइल किए गए तीन आवेदनों को नामंजूर

करने के संबंध में अभिलिखित कारणों का विश्लेषण करने पर और उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा उन आवेदनों को मंजूर करने के संबंध में अभिलिखित कारणों को साथ रखने पर, हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में निकाला गया निष्कर्ष अपराजेय है ।

11. अब हम अपीलार्थी द्वारा दी गई दूसरी इस दलील पर विचार करते हैं कि भले ही प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए फाइल किए गए कथित आवेदनों को मंजूर करने के लिए पर्याप्त आधार था, तो भी अतिरिक्त दस्तावेज़ों की वास्तविकता और अंतर्वस्तु को उस पक्षकार द्वारा, जो उनका अवलंब ले रहा है, साबित किया जाना होगा । जहां तक इस अभिवाक् का संबंध है, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि इस तथ्य से कि आवेदनों को मंजूर किया जाता है, अपने आप में सीधे यह निदेश देना अभिप्रेत नहीं है कि अतिरिक्त दस्तावेज़ों को प्रदर्शित किया जाए बल्कि उन्हें सबूत के अधीन रहते हुए प्रदर्शित किया जा सकता है । उच्च न्यायालय ने असंदिग्ध रूप से यह मत व्यक्त किया है कि दस्तावेज़ों को विधि के अनुसार साबित किया जाना होगा । हम यह पूर्णतः स्पष्ट कर देते हैं कि संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा फाइल किए गए तीन आवेदनों को मंजूर करने का यह परिणाम नहीं होगा कि अतिरिक्त दस्तावेज़/अतिरिक्त साक्ष्य सीधे ही प्रदर्शित किए जा सकते हैं बल्कि प्रत्यर्थी को न केवल उक्त दस्तावेज़ों की विद्यमानता, प्रामाणिकता और वास्तविकता बल्कि विधि के अनुसार यथापेक्षित उनकी अंतर्वस्तुओं को भी साबित करना होगा ।

12. तथापि, अपीलार्थी की अगली शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय को किसी भी दशा में विचारण न्यायालय को यह निदेश देते हुए कि वाद को पुनर्विनिश्चित किया जाए, पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष अवनत नहीं करना चाहिए था । तथापि, प्रत्यर्थी ने "कर्नाटक राज्य को यथा-लागू" संहिता के संशोधित नियम 23 के उपबंधों का अवलंब लिया । वह नियम निम्नलिखित रूप में है :-

*"23. **मामले का अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण** – जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, वाद का निपटारा किसी प्रारंभिक बात पर कर दिया है और डिक्री अपील में उलट दी गई है या जहां अपील न्यायालय अपीलाधीन डिक्री को उलटने या अपास्त करने में न्याय के हित में मामले को प्रतिप्रेषित करना आवश्यक समझता है वहां अपील न्यायालय मामले का आदेश द्वारा प्रतिप्रेषण कर सकेगा और यह अतिरिक्त निदेश दे सकेगा कि ऐसे प्रतिप्रेषित मामले में कौन से विवाद्यक या विवाद्यकों का विचारण किया जाए और प्रतिप्रेषण के पश्चात् कोई अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाएगा अथवा नहीं लिया जाएगा और अपने निर्णय और आदेश की प्रति उस न्यायालय को, जिसको डिक्री की अपील की गई है, इन निदेशों के साथ भेजेगा कि वह वाद सिविल वाद के रजिस्टर में अपने मूल संख्यांक पर पुनः ग्रहण किया जाए और वाद के अवधारण के लिए आगे कार्यवाही की जाए और यदि कोई साक्ष्य मूल विचारण के दौरान में अभिलिखित कर लिया गया था तो वह सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, प्रतिप्रेषण के पश्चात् वाले विचारण के दौरान में साक्ष्य होगा ।"

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

13. वास्तव में, कर्नाटक राज्य को यथा-लागू उपबंध उस डिक्री तक सीमित नहीं है जिसमें वाद का निपटारा किसी प्रारंभिक बात पर किया जाता है बल्कि इसमें वह स्थिति भी आती है, जहां अपील न्यायालय

---

*अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :-

23. **Remand of case by Appellate Court** – Where the Court from whose decree an appeal is preferred has disposed of the suit upon a preliminary point and the decree is reversed in appeal, **or where the Appellate Court in reversing or setting aside the decree under appeal considers it necessary in the interests of justice to remand the case,** the Appellate Court may by order remand the case, and may further direct what issue or issues shall be tried in the case so remanded and whether any further evidence shall or shall not be taken after remand, and shall send a copy of its judgment or order to the Court from whose decree the appeal is preferred with directions to re-admit the suit under its original number in the register of civil suits, and proceed to determine the suit; the evidence, if any, recorded during the original trial shall subject to all just exceptions, be evidence during the trial after remand."

अपीलाधीन डिक्री को उलटने या अपास्त करते समय न्याय के हित में मामले को प्रतिप्रेषित करना आवश्यक समझता है । उल्लेखनीय है कि कर्नाटक संशोधन, कर्नाटक के राजपत्र की तारीख 5 नवम्बर, 1959 की प्रविष्टि द्वारा पुरःस्थापित किया गया था । उस उपबंध के प्रभाव को 1976 के केन्द्रीय संशोधन अधिनियम सं. 104 द्वारा सुदृढ़ किया गया है जिसके द्वारा नियम 23क पुरःस्थापित किया गया था । उक्त नियम 23क निम्नलिखित रूप में है :-

> **"23क अन्य मामलों में प्रतिप्रेषण** – जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, मामले का निपटारा किसी प्रारंभिक बात पर करने से अन्यथा कर दिया है और डिक्री अपील में उलट दी गई है और पुनर्विचारण आवश्यक समझा गया है वहां अपील न्यायालय की वही शक्तियां होंगी जो उसकी नियम 23 के अधीन है ।"

14. हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि संहिता की धारा 23 के अधीन अपील न्यायालय अपने समक्ष वाले मामले को वहां प्रतिप्रेषित कर सकेगा जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील फाइल की गई है, वाद का निपटारा प्रारंभिक बात पर कर दिया था और वह डिक्री अपील में उलट दी गई थी । नियम 23क किसी डिक्री के विरुद्ध किसी अपील में अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित किए जाने वाले ऐसे मामलों के अन्य (अवशिष्ट) प्रवर्ग के संबंध में जिनका निपटारा प्रारंभिक बात पर करने से अन्यथा कर दिया गया है । अपील न्यायालय ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय संहिता के आदेश 41 के नियम 25 और 26 को ध्यान में रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जो कि निम्नलिखित रूप में हैं :-

> "25. **अपील न्यायालय कहां विवाद्यक की विरचना कर सकेगा और उन्हें उस न्यायालय को विचारण के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा जिसकी डिक्री की अपील की गई है** – जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, ऐसे किसी विवाद्यक की विरचना के लिए या विचारण में या किसी ऐसे तथ्य के प्रश्न के अवधारण में लोप किया है जो अपील न्यायालय को वाद के

गुणागुण पर ठीक विनिश्चय के लिए परमावश्यक प्रतीत होता है वहां, यदि आवश्यक हो तो अपील न्यायालय विवाद्यकों की विरचना कर सकेगा और उन्हें उस न्यायालय को विचारण के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा जिसकी डिक्री की अपील की गई है और ऐसी दशा में ऐसे न्यायालय को अपेक्षित अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए निदेश देगा;

और ऐसा न्यायालय ऐसे विवाद्यकों के विचारण के लिए अग्रसर होगा और साक्ष्य को उस पर अपने निष्कर्षों के सहित और उनके लिए अपने कारणों के सहित [ऐसे समय के भीतर जो अपील न्यायालय द्वारा नियत किया जाए या उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाए] अपील न्यायालय को लौटा देगा ।"

"26. निष्कर्ष और साक्ष्य का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना – निष्कर्ष पर आक्षेप – (1) ऐसा साक्ष्य और ऐसे निष्कर्ष वाद के अभिलेख का भाग होंगे और दोनों पक्षकारों में से कोई भी ऐसे समय के भीतर, जो अपील न्यायालय द्वारा नियत किया जाएगा, किसी भी निष्कर्ष के प्रति आक्षेपों का ज्ञापन उपस्थापित कर सकेगा ।

(2) **अपील का अवधारण** – ऐसे ज्ञापन के उपस्थापित किए जाने के लिए इस प्रकार नियत की गई अवधि के अवसान के पश्चात् अपील न्यायालय अपील का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।"

15. दूसरे शब्दों में, अपील न्यायालय के पास दो विकल्प उपलब्ध होते हैं । प्रथमतः, वह आदेश 41 के नियम 27 के अनुसार पक्षकारों को उसके समक्ष साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञात करके स्वयं साक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा या उस न्यायालय को, जिसकी डिक्री से विचाराधीन अपील उद्भूत हुई है, ऐसा करने का निदेश दे सकेगा ।

16. अपीलार्थियों ने **एच. पी. वेदव्यासचर** बनाम **शिवशंकर और एक अन्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया है जिसमें **शांति देवी** बनाम **द्रोपती**

---

[1] (2009) 8 एस. सी. सी. 231.

देवी[1] वाले विनिश्चय पर भी विचार किया गया है । **एच. पी. वेदव्यासचर** (उपर्युक्त) वाले मामले में विनिर्दिष्ट रूप से यह दलील दी गई थी कि अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए कोई मामला साबित नहीं किया गया था और उस दशा में, संपूर्ण मामला नए सिरे से साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् नए सिरे से निपटारा करने के लिए विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह संहिता के आदेश 41, नियम 23 के अधीन परिकल्पित कोई मामला नहीं था । इस दलील पर उक्त विनिश्चय के पैरा 7 से पैरा 10 में निम्नलिखित शब्दों में विचार किया गया है :-

> "7. तथापि, जहां तक अपीलार्थी की ओर से विद्वान काउन्सेल द्वारा दी गई दूसरी दलील का संबंध है, हमारी राय में, उसमें कोई सार नहीं है । जब अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने से संबंधित कोई आवेदन मंजूर किया जाता है तब अपील न्यायालय के पास दो विकल्प खुले होते हैं । वह स्वयं साक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा या विचारण न्यायालय को ऐसा करने का निदेश दे सकेगा ।
>
> 8. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 का नियम 28 निम्नलिखित रूप में है -
>
> > '28. अतिरिक्त साक्ष्य लेने की रीति - जहां कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दी जाती है वहां अपील न्यायालय ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकेगा या उस न्यायालय को जिसकी डिक्री की अपील की गई है या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा साक्ष्य लेने के लिए और उसके लिए जाने पर अपील न्यायालय को उसे भेजने के लिए निदेश दे सकेगा ।'
>
> हमारी सुविचारित राय में, ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय को यह निदेश नहीं दे सकता था कि साक्ष्य लेने के पश्चात् वाद का निपटारा किया जाए । प्रतिप्रेषण का ऐसा आदेश संहिता के आदेश 41, नियम 23, आदेश 41, नियम 23क या आदेश 41, नियम 25 के निबंधनों के अनुसार ही किया

[1] (2006) 13 एस. सी. सी. 775.

जा सकेगा । वर्तमान मामले में उक्त उपबंधों में से कोई भी उपबंध लागू नहीं होता है ।

9. इस न्यायालय ने शांति देवी **बनाम** द्रोपती देवी वाले मामले में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है [(2006) 13 एस. सी. सी. 775, पैरा 13] –

> '13. किन्तु यह अपने आप में विद्वान विचारण न्यायालय की डिक्री को अपास्त करके संपूर्ण वाद को विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रतिप्रेषित करने के लिए आधार नहीं हो सकता था । प्रतिप्रेषण की शक्ति या तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 23 और नियम 23क के निबंधनानुसार या आदेश 41 के नियम 25 के निबंधनानुसार अपील न्यायालय में निहित है । यह अभिनिर्धरित किया गया था कि विवाद्यक सं. 4 गलत रूप से विरचित किया गया था । सबूत का भार भी गलत रूप में डाला गया था और उच्च न्यायालय ने मामले को उस दृष्टि से देखते हुए पक्षकारों को नए साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञात करते हुए उसे विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रतिप्रेषित करना उपयुक्त समझा । अतः, इस कारण विद्वान विचारण न्यायाधीश से तथ्य संबंधी प्रश्न का अवधारण करने की अपेक्षा उद्भूत हुई, जो कि उसके अनुसार विवाद्यक को पुनः विरचित करने पर आवश्यक थी ।'

10. ऊपर उल्लिखित उपबंधों में से कोई भी उपबंध उच्च न्यायालय के पास उपलब्ध नहीं था । अतः, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उपांतरित करते हुए निम्न प्रकार निदेश देते हैं –

(i) विद्वान विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा यथा-निदेशित साक्ष्य अभिलेख करने के पश्चात्, प्रथम अपील न्यायालय को अभिलेख, उसके साथ अपनी रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए, पारेषित करेगा ।

(ii) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाही

इस आदेश को संसूचित किए जाने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अवश्य पूरी की जानी चाहिए ।

(iii) प्रथम अपील न्यायालय को, उक्त आदेश तथा पेश किए गए साक्ष्य के प्राप्त होने पर, प्रथम अपील का निपटारा यथासंभव शीघ्र और उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह अपश्चात् अवश्य करना चाहिए ।

हम यह आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित कर रहे हैं कि अपीलार्थी के बारे में यह कहा गया है कि उसे बहुत पहले वर्ष 1993 में बेकब्ज़ा कर दिया गया है ।" (जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

17. प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई विशेष कारण अभिलिखित नहीं किए हैं कि पक्षकारों को वाद को पुनर्विनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष क्यों अवनत किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय ने संभवतः जिस एकमात्र कारण पर बल दिया है, वह यह है कि सच्चाई का पता लगाना आवश्यक था क्योंकि न्यायालय का यही कर्तव्य है । ऐसा प्रथम अपील न्यायालय को साक्ष्य अभिलिखित करने का निदेश देकर भी किया जा सकता था, जो कि वह प्रथम अपील की सुनवाई करते समय करने के लिए सक्षम था, यदि उसने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अधीन फाइल किए गए आवेदनों को मंजूर किया होता । इसके लिए, उच्च न्यायालय संहिता के आदेश 41, नियम 25 के अनुसार विवाद्यक विरचित कर सकता था और उन्हें प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष, जिसकी डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की गई थी, न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित कर सकता था । संहिता के आदेश 41, नियम 28 और नियम 29 का उल्लेख करना लाभप्रद हो सकता है । वे नियम निम्नलिखित रूप में हैं :-

"28. अतिरिक्त साक्ष्य लेने की रीति - जहां कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दी जाती है वहां अपील न्यायालय ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकेगा या उस न्यायालय को जिसकी डिक्री की अपील की गई है या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा

साक्ष्य लेने के लिए और उसके लिए जाने पर अपील न्यायालय को उसे भेजने के लिए निदेश दे सकेगा ।"

"29. विषय-बिन्दुओं का परिभाषित और लेखबद्ध किया जाना – जहां अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निदेश दिया जाता है या अनुज्ञा दी जाती है वहां अपील न्यायालय उन विषय-बिन्दुओं को विनिर्दिष्ट करेगा जिन तक साक्ष्य को सीमित रखना है, और अपनी कार्यवाहियों में उन विषय-बिन्दुओं को लेखबद्ध करेगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।"

उच्च न्यायालय प्रथम अपील न्यायालय को तथ्य संबंधी किसी प्रश्न का, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य की विद्यमानता और वास्तविकता भी है, या उस संबंध में इस बात का अवधारण करने के लिए निदेश जारी कर सकता था कि उक्त दस्तावेज़ों की अंतर्वस्तुओं को उस पक्षकार द्वारा, जो उनका अवलंब ले रहा है, सम्यक् रूप से साबित किया गया था अथवा नहीं । प्रथम अपील न्यायालय, ऐसे सुसंगत विषयों के समर्थन में, जो उच्च न्यायालय ने निदिष्ट किए हों, साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसे विवाद्यकों का विचारण करने की कार्यवाही कर सकता था और उच्च न्यायालय को विहित समय के भीतर साक्ष्य, उसके संबंध में अपने निष्कर्षों सहित, लौटा सकता था । ऐसी कार्यवाही संहिता के आदेश 41, नियम 28 के निबंधनानुसार अनुज्ञेय थी । इसके बाद उच्च न्यायालय, रिपोर्ट प्राप्त होने पर, द्वितीय अपील को ग्रहण करते समय पहले से विरचित विधि के सारवान् प्रश्नों पर विचार कर सकता था और सभी मुद्दों के संबंध में उनका अंतिम रूप से विनिश्चय कर सकता था ।

18. इस मुकदमेबाजी के विविध इतिहास और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वाद वर्ष 1992 में फाइल किया गया था और भूमि अभिलेख अधीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिट याचिका कथित रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, यह उपयुक्त होगा कि उच्च न्यायालय उन विषय-बिन्दुओं को विरचित करे, जिनके संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पेश किए जा सकते थे और प्रथम अपील न्यायालय से अतिरिक्त साक्ष्य लेखबद्ध करने और अतिरिक्त साक्ष्य की वास्तविकता और प्रामाणिकता के प्रश्न पर, जिसके

अंतर्गत यह प्रश्न भी है कि उसकी अंतर्वस्तुओं को उस पक्षकार द्वारा, जो उसका अवलंब ले रहा है, साबित किया गया है अथवा नहीं, विचार करने की और उसके पश्चात् उस साक्ष्य को विहित समय के भीतर उच्च न्यायालय को, उसके संबंध में अपने निष्कर्षों और उसके लिए कारणों सहित, लौटाने की अपेक्षा करे । ऐसी कार्यवाही से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी ।

19. तद्नुसार, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को उस सीमा तक भागतः अपास्त करते हैं जहां तक पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को विधि के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञात करने के पश्चात् वाद को पुनर्विनिश्चित करने के लिए वापस भेजा गया है । इसके बजाय, अपील को उच्च न्यायालय की फाइल पर मूल संख्यांक पर प्रत्यावर्तित किया जाता है । उच्च न्यायालय उन विषय-बिन्दुओं की विरचना करेगा, जिनके संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दी गई है और प्रथम अपील न्यायालय को विधि के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर लेने और उसके पश्चात् उस साक्ष्य को विहित समय के भीतर उच्च न्यायालय को, उसके संबंध में अपने निष्कर्षों और उसके लिए कारणों सहित, लौटाने का निदेश देगा । उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे निदेश यथाशीघ्र, अधिमानतः आज से दो मास के भीतर, जारी किए जाएं । इसके पश्चात् उच्च न्यायालय, प्रथम अपील न्यायालय से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, द्वितीय अपील के संबंध में, पहले से विरचित सारवान् प्रश्नों पर या ऐसे अन्य सारवान् प्रश्नों पर, जो उसके विचारार्थ उद्भूत हों, विचार कर सकेगा ।

20. यह अपील और इससे संलग्न आवेदनों का ऊपर उल्लिखित निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है । खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील का तद्नुसार निपटारा किया गया ।

ग्रो.